न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 43 / 2018
प्रविष्टि दिनांक 30.04.2018

1–मदन पुत्र बद्री जाति कुमावत निवासी सुभानपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
2–जोधराज पुत्र ब्रदी जाति कुमावत निवासी सुभानपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

–अपीलाण्ट्स

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला–टोक

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 14.03.2018 मिसल नम्बर 2202 / 2018

उपस्थिति : (1) श्री राधेश्याम धाकड,अभिभाषक अपीलान्ट्स
(2) **श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार**

दिनांक 13.02.2023

निर्णय

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 14.03.2018 के द्वारा अपीलान्ट्स को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 92,162,163 व 92 / 315 मे कुल रकबा 1.38 है0 किस्म बारानी–2 वाके ग्राम सुभानपुरा तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर फसल काश्त कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 231 / रू. पेनल्टी कायम कर 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट्स एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का से जिरह का अवसर नही दिया है। अपीलांट का मौके पर कब्जा नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने एक ही निर्णय के द्वारा अपीलांट्स को तीन सजाये कमशः बेदखल करने,पेनल्टी आरोपित करने व सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलांट्स ने विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लेने बाबत शपथ पत्र

न्यायालय जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

पेश किया है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट्स को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 92,162,163 व 92/315 मे कुल रकबा 1.38 है0 किस्म बारानी–2 वाके ग्राम सुभानपुरा तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर फसल काश्त कर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार सोप द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट्स की विधिवत तामील हुई है,परन्तु अपीलान्ट्स न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट्स ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट्स भूमि पर से अपना कब्जा छोडना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट्स की और से विश्वजीत सिंह की तामील हुई है। अपीलान्ट्स अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट्स द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 92,162,163 व 92/315 मे कुल रकबा 1.38 है0 किस्म बारानी वाके ग्राम सुभानपुरा तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर गेहूँ व सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 2018/2016 निर्णय दिनांक 18.03.2016 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट्स ने दिनांक 06.02.2023 को शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मैने उक्त आराजी से अपना कब्जा भौतिक रूप से हटा लिया है। भविष्य मे उक्त आराजीयात अथवा किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नही करूंगा। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप का निर्णय दिनांक 14.03.2018 इस शर्त के साथ अपास्त किया जाता है कि यदि अपीलान्ट पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते टोंक (राजस्थान)